न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 09/2023

प्रार्थी :– नारणाराम पुत्र पुंजारामजी,जाति कुम्हार निवासी चिलानाडी,तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. केराराम पुत्र भोमाराम
2. भेराराम पुत्र भोमाराम
3. मगाराम पुत्र भोमाराम
4. गोकलराम पुत्र दुर्गाराम
5. जब्बराराम पुत्र दुर्गाराम
6. मालाराम पुत्र दुर्गाराम
7. रूकमादेवी पत्नी दुर्गाराम
8. रामलाल पुत्र दुर्गाराम
9. सुजाराम पुत्र दुर्गाराम
10. गोपीलाल पुत्र गंगाराम
11. गोरखाराम पुत्र मेराम
12. देवाराम पुत्र मेराम
13. पाबूराम पुत्र मेराम
14. मंगलाराम पुत्र मेराम
15. मिश्राराम पुत्र मेराम
16. मांगीलाल पुत्र गंगाराम
17. मोकीदेवी पत्नी गंगाराम
18. भूराराम पुत्र मादाराम
19. शंकरराम पुत्र मादाराम
20. जेसाराम पुत्र घेवरराम
21. देवाराम पुत्र घेवरराम
22. मूलाराम पुत्र घेवरराम
23. वीरोदेवी पत्नी घेवरराम
24. अणसी पत्नी घेवरराम
25. खंगाराराम पुत्र पदमाराम
26. गोरखाराम पुत्र पदमाराम
27. दरगाराम पुत्र पदमाराम
28. पाबूराम पुत्र पदमाराम
29. लुणाराम पुत्र पदमाराम
30. अमानी पत्नी मगना
31. गुमनाराम पुत्र मगना
32. नेमाराम पुत्र मगना
33. मिसराराम पुत्र मगना सभी जातियान कुम्हार सभी निवासीयान चिलानाडी,तहसील पचपदरा जिला बाडमेर। पचपदरा।
34. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील ~~बाडमेर~~।

(उपखण्ड अधिकारी बालोतरा (S.D.O.) की मुहर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:22:06 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर)
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

लगातार.....

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा0भू रा0 अधि0 बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु

उपस्थित :—

1. श्री चेलाराम कुमावत , प्रार्थी अधिवक्ता
2. विप्रार्थी संख्या 1 से 33 एक पक्षीय

'आदेश' दिनांक :— 29.5.2023

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत सरहद मौजा ग्राम चिलानाडी, पटवार हल्का चिलानाडी, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पाटोदी, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 4365/2699 क्षेत्रफल 4.5244 हैक्टर भूमि मे अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा कश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है ।

प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया । विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया । विप्रार्थी संख्या 1 से 33 के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 1 से 33 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी असालतन या वकालतन हाजिर नही होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गया। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी की कृषि भूमि मौजा ग्राम चिलानाडी, पटवार हल्का चिलानाडी, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पाटोदी, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 4365/2699 क्षेत्रफल 4.5244 हैक्टर अवस्थित आई हुई है । जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी संख्या 1 से 33 की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की [illegible] को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है और प्रार्थी की खातेदारी [illegible] की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है, और प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है , और आये दिन [illegible]माओं को लेकर पक्षकारान में

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:22:06 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

लगातार..........

तनाजा रहता है, इस कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा चिलानाडी, पटवार हल्का चिलानाडी, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पाटोदी, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 4365/2699 क्षेत्रफल 4.5244 हैक्टर अवस्थित भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे ।

हमने वकील प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात सीमाज्ञान फर्द का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया । जिसमे पाया कि मौजा चिलानाडी, पटवार हल्का चिलानाडी, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पाटोदी, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 4365/2699 क्षेत्रफल 4.5244 हैक्टर अवस्थित भूमि प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न जमाबंदी नकल की संवत 2079–2082 व नक्शा ट्रेस का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार हैं, और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थी हकदार भी है । विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 33 को बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नही हुए है। प्रार्थी ने तहसीलदार से सीमाज्ञान का आदेश लेकर दिनांक 06/12/2022 को सीमाज्ञान भी करवाया , ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है । लिहाजा प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम चिलानाडी, पटवार हल्का चिलानाडी, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पाटोदी, तहसील पचपदरा मे खसरा संख्या 4365/2699 क्षेत्रफल 4.5244 हैक्टर अवस्थित भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबदी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को कमिश्नर नियुक्त किया जता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 33 को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे । कमिश्नर फीस 500/– प्रार्थी मौके पर अदा करेगे। आवश्यकता होने पर पुलिस ईमदाद प्राप्त कर सकते है पालना रिपोर्ट पेश होने पर तामिल मिसल हो ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:22:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आज दिनांक 29.05.2023 को आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा